रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253150 CG-DL-E-16032024-253150

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945

No. 201]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

# वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2024

सा.का.नि. 215(अ).— जबिक पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, कितपय नियमों के मसौदे को, वाणिज्य और मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 08 (अ) दिनांक 2 जनवरी, 2024 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से, उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां, आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिनों की अविध समाप्त होने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सझाव आमंत्रित किए गए थे:

और, जबिक, उक्त अधिसूचना को प्रकाशित किए गए भारत के राजपत्र की प्रतियां आम लोगों को 2 जनवरी, 2024 को उपलब्ध करा दी गईं थीं।

और, जबिक, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में आम लोगों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

2040 GI/2024 (1)

- 1. (1) इन नियमों को 'पेटेंट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024' कहा जाएगा।
  - (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. पेटेंट नियम, 2003 में (इसके पश्चात इन्हें उक्त नियम कहा जाएगा), नियम 107 के पश्चात, निम्नलिखित अध्यायों को शामिल किया जाएगा, नामतः

# "अध्याय XIVक शास्ति और अपीलों का न्यायनिर्णयन

107क. परिभाषाएं – इस अध्याय में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -

- (क) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" का आशय अधिनियम की धारा 124क के तहत अधिकृत अधिकारी से है;
- (ख) "अपीलकर्ता" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है और अधिनियम की धारा 124ख की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने को प्राथमिकता देता है;
- (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का आशय ऐसे प्राधिकारी अधिकारी से है जिसे अधिनियम की धारा 124ख के उप-धारा (1) के तहत अधिकृत किया गया हो;
- (घ) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो नियम में परिभाषित नहीं है परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित है।
- 107ख. शिकायत (1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 120, 122 और 123 के तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र 31 में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- 107ग. जांच करना (1) अधिनियम की धारा 124क के तहत न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति ने उस धारा में यथाविनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर (जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अविध से कम न हो) कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
- (2) उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक नोटिस किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति को इंगित करेगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रुप से अधिकृत अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा।
- (4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति या उसके वकील को, जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरु की गई है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और जिस उल्लंघन के संबंध में आरोप लगाया गया है उन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रुप से समझाएगा।
- (5) तब न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी आगामी तारीख तक स्थगित किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इस नियम के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है, उस व्यक्ति की उपस्थित की अपेक्षा कर सकता है और उसके पास उस व्यक्ति को बुलाने का अधिकार होगा।

- (7) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (3) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से मना करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, जांच को आगे बढ़ा सकता है।
- (8) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अनुसार, ऐसी शास्ति लगा सकता है जो वह उचित समझता है।
- (9) उप-नियम (8) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और उसमें शास्ति लगाने के कारणों को शामिल किया जाएगा।
- (10) उप-नियम (8) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी और न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (11) इस नियम के तहत किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।
- (12) न्यायनिर्णयन अधिकारी को, विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने के तीन माह के भीतर कार्यवाही पूरी करनी होगी।
- 107घ अपील:- (1) कोई व्यक्ति जो इस नियम के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है तो वह, इस आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रपत्र 32 में अपील कर सकता है।
- बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि उस व्यक्ति के पास ऐसी अवधि के भीतर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण हैं।
- (2) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी, नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर अपना जवाब देने के लिए, प्रतिवादी को एक नोटिस जारी करेगा।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक संगत आदेश पारित करेगा जिसमें स्थगन के आदेश भी शामिल हैं और सामान्य रूप से अपील की प्राप्ति की तारीख से छः माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेंगे।
- 107 ज. दोनों पक्षों को तामील (1) इस अध्याय के तहत सभी पत्राचार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे।
- (2) इस प्रकार के संप्रेषण को सिद्ध करने के लिए यह प्रदर्शित करना पर्याप्त होगा कि पत्राचार उचित तरीके से किया गया था और इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संप्रेषित किया गया था।
- 107झ. समयाविध बढ़ाना. न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से, जहां विलंब या इस दिशा में कार्रवाई न करने के उचित कारण मौजूद हैं, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अविध तक बढ़ा सकता है जो ऐसी अविध होगी जिसे वह उचित समझता है।
- **107ठ. आदेश और शास्ति -** (1) इस अध्याय के तहत पारित प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित की जाएगी, उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा और उसे न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, के आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- (2) इस अध्याय के तहत शास्ति के जरिए वसूली गई सभी राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।"
- 3. उक्त नियमों में, दूसरी अनुसूची में,

(क) प्रपत्र शीर्षक के अंतर्गत, "प्रपत्र सं. 30" और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामतः -

1.	2.	3.
31.	धारा 124क, नियम 107ग	धारा 120, 122 और 123 के उल्लंघन के लिए शिकायत
		पर
32.	धारा 124ख, नियम 107च	न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

(ख). उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र 30 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्रों को शामिल किया जाएगा, नामतः -

## **"प्रपत्र 31**

# पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

तथा

# पेटेंट नियम, 2003

# धारा 120, 122 और 123 के उल्लंघन या चूक के लिए शिकायत

[धारा 124क; नियम 107(1) देखें]

1. शिकायतकर्ता का विवरण (अनिवार्य) :-	
क: नाम	
ख. तामील के लिए पता :	
ग. टेलीफोन नं. :	
घ. ई-मेल (तामील के लिए)	
2. शिकायत का विवरण :-	
क. कथित उल्लंघन या चूक होने की तिथि, समय और	
घटना:	
ख. सभी संबंधित प्रमुख विवरण देते हुए उल्लंघन या	
चूक का ब्यौरा:	
ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य:	
घ. कॉस्ट ब्रेक-अप के साथ क्षति की अनंतिम राशि	
(आर्थिक संदर्भ में)।	
मैं/हम शिकायतकर्ता घोषणा करता हूं/करते	हैं कि यहां उल्लेख किए गए तथ्य मेरे/हमारी
जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
3. शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर
4. उस वास्तविक व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर	()
किए हैं:	
	सेवा में,
	न्यायनिर्णयन अधिकारी,
	पेटेंट कार्यालय,
	स्थान
नोट - जो लागू न हो, उसे काट दें।	

"प्रपत्र 32"		
पेटेंट अधिनियम, 1970		
(1970 का 39)		
तथा		
पेटेंट नियम, 2	003	
न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील		
[धारा 124ख, <b>नियम 107घ(1) देखें</b> ]		
1. अपीलकर्ता का विवरण (अनिवार्य):-		
क. नाम :		
ख. तामील के लिए पता :		
ग. टेलीफोन नं.:		
घ. ई-मेल (तामील के लिए):		
2. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जारी आदेश का विवरण,		
जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है:-		
क. मामला सं.		
ख. आदेश की तारीख		
ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य		
मैं/हम, शिकायतकर्ता यह घोषणा करता हूँ/करते हैं वि	के यहां उल्लेख किए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम	
जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।		
3. अपीलकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर	
4. उस वास्तविक व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं:	()	
	सेवा में,	
	अपीलीय प्राधिकारी,	
	स्थान	
नोट - जो लागू न हो, उसे काट दें।"		

[फा. सं. पी-24031/13/2020-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 493 (अ), दिनांक 2 मई, 2003 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 21 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department for promotion of Industry and Internal Trade)

### NOTIFICATION

New Delhi, the th 16th March, 2024

**G.S.R. 215(E).**—WHEREAS the draft of certain rules, further to amend the Patents Rules, 2003 was published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce & Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 08(E), dated the 2nd January, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all person likely to be affected there by before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 2nd January 2024;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Patents (Second Amendment) Rules, 2024.
  - (2) They shall comeint of or ceon the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Patents Rules, 2003 (herein after referred to as the said rules), after rule 107, the following chapters shall be inserted namely, -

### "CHAPTERXIVA

### ADJUDICATION OF PENALTIES AND APPEALS

**107A. Definitions.**-In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

- (a) "adjudicating officer" means an officer authorized under section 124A of the Act;
- (b) "Appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer and prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 124B of the Act;
- (c) "appellate authority" means an authority officer authorized under sub-section (1) of section 124 B of the Act;
- (d) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the act.
- **107 B. Complaint.—(1)** Any person may file a complaint in Form 31 through electronic means to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sections 120, 122, and 123 of the Act.
- **107 C. Holding of inquiry. -** (1) For the purpose of adjudication under section 124 A of the Act whether any person has committed any contravention as specified in that section, the adjudicating officer shall, issue anotice through electronic means to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.
- (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
- (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through alegal practitioner duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
- (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his legal practitioner, the contravention, committed by such person andthe provisions of the Act, in respect of which contravention is alleged to have committed.

- (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing maybe adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not bebound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023 (47 of 2023).
- (6) While holding an inquiry under this rule the adjudicating officermay require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of thecase to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required by sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by orderin writing, impose such penalty under the Act as he thinks fit
- (9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provisions of the Act in respect of which contravention has being committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
- (10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
- (11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of charge to the person against whom the order is made.
- (12) The adjudicating officer shall complete the proceeding within the three months form the issuance of the notice to the opposite party.
- **107 D. Appeal:-** (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating under this rule, may prefer an appeal in Form 32 through electronic means to appellate authority, within sixty days from the date of the order, to the appellate authority, within sixty days from the date of the order.

Provided that the appellate authority may entertain appeal after the expiry of the said period it he satisfied that he has sufficient cause for the not filling the appeal within such period.

- (2) On receipt of the appeal, the appellate authority shall issue notice requiring, to the Respondent, to file his reply within such period as may be specified in the notice.
- (3) The appellate authority shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, pass a reasoned order, including an order for adjournment, and complete the proceedings ordinarily within six months from the dateof the receipt of the appeal.
- **107H.** Serving upon parties (1) All communications under this Chapter shall be transmitted through electronic means only.
- (2) In proving such transmission, it shall be sufficient to show that the communication was properly addressed and transmitted through electronic means.
- **107I. Extension of time.** The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in this chapter till such period as he may thinks fit.
- **107L. Order and penalties.** (1) Every order under this Chapter, , shall be dated, digitally signed, communicated to all the parties, and also uploaded on the official website of the adjudicating officer or the appellate authority as the case may be
- (2) All sums realized by way of penalties under this Chapter shall be credited to the Consolidated Fund of India".
- 3. In the said rules, in the SECOND SCHEDULE.

(a)under heading FORMS after, after "Form No.30" and the entries related thereto, the following shall be inserted, namely:

1	2	3
"31.	Section 124A, rule 107C	Complaint for contravention of sections 120, 122, and 123
32.	Section 124B, rule 107F	Appeal against an order of the adjudicating officer"

# (b) In the second schedule to the said rules, after Form 30, the following forms shall be inserted, namely: "FORM31 THE PATENTS ACT,1970 (39 OF 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 COMPLAINT FOR CONTRAVENTION OR DEFAULT OF SECTIONS 120, 122 and 123 [See section 124A, rule 107(1)] 1. Particulars of Complainant (mandatory): a. Name: b. Address for service: c. Contactno.: d. Email (for service): 2.Of Complaint:a. Date, time, and instance of commission of the alleged contravention or default: b. Statement of contravention or default setting out all relevant

b. Statement of contravention or default setting out all relevant	
material particulars:	
c. Evidence in support of the statement:	
e. Tentative amount of damage (in Monetary terms) with cost break up	
I/We, the Complainant here in declare that the fa	cts stated
here in are correct to the best of my/our knowledge, information	and belief.
3.Signature of the Complainant:	Signature
4. Name of the natural person who	()
has signed:	
	То,
	The Adjudicating Officer, The Patent Office,
	at
NoteStrike out whichever is not applicable.	

### FORM 32

THE PATENTS ACT, 1970 (39 OF 1970)

and

THE PATENTS RULES, 2003

### APPEAL AGAINST AN ORDER PASSED BY THE ADJUDICATING OFFICER

[Section 124B, rule 107D(1)]

1.	Particulars of Appellant (mandatory):-	
	a. Name:	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

b. Address for service:		
c. Contact no.:		
d. Email (for service):		
2. Particulars of Order passed by the adjudicating officer against which the appeal is preferred: -		
a. Case No.:		
b. Date of Order:		
c. Evidence in support of the		
statement:		
I/We, the Appellant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.		
3.Signature of the Appellant:	Signature	
4.Name of the natural person whoh as signed:	()	
	То,	
	The Appellate Authority, at	
NoteStrikeout which ever is not applicable".		
4.Name of the natural person whoh as signed:	()  To,  The Appellate Authority, at	

[F. No.P-24031/13/2020-IPR-III] HIMANI PANDE Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended vide notification number G.S.R. 646(E) dated the 21st September, 2021